

मूलतः भूमि सुधार अधिनियम 1941 के अन्तर्गत हुनाबाद पलासू

सं. 562

आदेश पत्रक

रामचन्द्र चौधरी वगैरे-अपीलार्थी बनाम

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

बनाम

राम लखन राम --- प्रतिपक्षी

ता०

से

सन 20 13

30/3/15

3

अपील

सं०

07

नामान्तरण वाद

स्माप

1	2	3
नो सं० तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
20/9/13	अपीलार्थी की ओर से अंचल अधिकारी, हुनाबाद के द्वारा नामान्तरण वाद संख्या-186/07-08 में पारित आदेश दिनांक 2-7-07 के फिर्दा अपीलवाद दायर किया गया है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अपील आवेदन अवलोकन किया। अपील आवेदन को सुनवाई हेतु अंगीकृत किया जाता है प्रतिपक्षी को सूचना निर्गत करें। एवं अंचल से मूल अभिलेख की मांग करें। अभिलेख दिनांक <u>23/X/13</u> को रें। भूमि सुधार उप समिति, हुनाबाद। अपीलार्थी: श्री. सुदाम उपरिवाला वसुदेवनाथ पदाधिकारी: उक्त वरुण के पुरमास्य के पार। कानून, दिनांक 24/11/13 तिथिपर। अधिवक्ता: उक्त वरुण के पार। कानून, दिनांक 13/11/13 तिथिपर।	06.12.17 22.12.17 17/1/18 23/02/18 07/03/18 25/04/18 28.07.18 3/4/19 148 30.9.22 30.9.22

11/5/11

18/

23/11/13

24/11/13

2.9.24

आदेश की क0 सं0	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई
29.1.22	डिप्टी कमिश्नर (उप-निरीक्षण) आम पत्र अनुपरीक्षक 4007-2-22	
07.2.22	डिप्टी कमिश्नर (उप-निरीक्षण) आम पत्र अनुपरीक्षक 3000 पत्र नमूना 10 अनुपस्थित डा. 1 तद की कार्यवाई लक्षात की जाती है 7/2/22	